

# PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

बुधवार

दिनांक :- 27.09.2017

## शांति भंग करने के 18 आरोपी गिरफ्तार :-

हरभान सिंह उ०नि० थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने श्री शान्ति प्रकाश पुत्र छीतर लाल तेली उम्र 35 साल निवासी जीनापुर थाना कोतवाली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्म सिंह स०उ०नि० थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने श्री प्रकाश पुत्र श्री जगदीश नाई उम्र 36 साल निवासी सलावट मो० शहर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार होशियार सिंह थानाधिकारी थाना सूरवाल ने 1. रामफूल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर उम्र 30 साल, 2. श्री धर्मसिंह पुत्र श्री रामफूल जाति गुर्जर उम्र 35 साल, 3. मोटा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी रहीथा खुर्द थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार पुरन चन्द उ०नि० थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने 1. आकाश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उम्र 23 साल, 2. आनन्द नन्दन पुत्र राजेन्द्र उम्र 21 साल, 3. नितेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उम्र 27 साल जातियान ब्राह्मण निवासीयान कैलाश टाकीज के पास गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी शिवदयाल हैड कानि० थाना सूरवाल ने 1. राजू सैनी पुत्र सत्यनारायण उम्र 25 साल, 2. राकेश सैनी पुत्र सत्यनारायण उम्र 20 साल जातियान माली निवासीयान मीना कोलोनी गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मुकेश कुमार स०उ०नि० थाना महिला थाना ने 01- श्री दूलीचन्द बैरवा पुत्र श्री बाबूलाल जाति बैरवा उम्र 32 साल निवासी बहरावण्डा खुर्द थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर 02- श्री रघुवीर सैन पुत्र श्री नारायण जाति सैन उम्र 31 साल निवासी बहरावण्डा खुर्द थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

## अवैध शराब बेचते 01 आरोपी गिरफ्तार :-

अंजली अजीत जोरवाल आरपीएस प्रोवेशनर गंगापुर सिटी ने बलराम सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी छावा थाना गंगापुर सिटी को अवैध शराब बेचने के आरोप में मय 91 पब्ले देशी शराब व 14 पब्ले अंगेजी शराब के गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 651/17 धारा 19/54 एक्ससाईज एक्ट में थाना गंगापुर सिटी पर दर्ज किया गया।

## वारंटी गिरफ्तार :-

जवर सिंह हैड कानि० थाना बौली नें फरार गिरफ्तारी वारण्टी भडभूडया उर्फ गबरू पुत्र श्री देवकरण जाति गुर्जर उम्र 37 साल निवासी खिरनी थाना बौली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जेएम साहब बौली ने केस नं० 328/17 धारा 341,323 आई०पी०सी० में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।